

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ० सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं  
संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर।

क्रमांक:-एफ. 2/स्था./आमवि/जो०/2020/

दिनांक: 09.2020

कार्यालय आदेश:

चयन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विशिष्टता में सीनियर रेजीडेंट के पद पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम छः माह की अवधि अथवा अन्य आदेश जारी होने तक के लिए पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम	विशिष्टता	जन्म तिथि
1	डॉ विष्णु अग्रवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार	यूरोलोजी	18.03.1984
2	डॉ. योगेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री करणी सिंह राठौड़	टी. बी. एण्ड चेस्ट	12.08.1990
3	डॉ. प्रभात कृष्ण शर्मा पुत्र श्री जमुना लाल शर्मा	रेडियेशन-फिजिक्स	07.07.1991
4	डॉ वेलमुरगन के पुत्री श्री कंदासामी	रेडियेशन-फिजिक्स	12.06.1986

- सीनियर रेजीडेंट के पद पर चयन उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम छः माह के लिए किया गया है।
- उपरोक्त सीनियर रेजीडेंटों को कार्यग्रहण करने की दिनांक से स्टार्टफण्ड रु. 61000/- एवं नियमानुसार मंहगाई भत्ता देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
- ये नियुक्ति उक्त चिकित्सकों के दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र सत्यापन एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्यक्षीन होगी।
- उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने होंगे। राजकीय सेवारत अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा। विगत में कार्यरत रहने की संस्था से त्याग पत्र स्वीकारोक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को होस्टल सुविधा देय नहीं होगी।
- चयनित अभ्यर्थी यदि हड़ताल अथवा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस के तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित कार्य के साथ-साथ आपाताकालीन सेवायें भी देनी होंगी।
- इन्हें नियमानुसार इस छः माह की अवधि के दौरान 07 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। सीनियर रेजीडेंट के पद पर कार्य पूर्णकालीन रेजीडेंट के रूप में करना होगा। इसके अतिरिक्त अवकाश लेने पर लिए गए अवकाश की अवधि का कोई स्टार्टफण्ड एवं अनुभव प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
- इन चिकित्सकों को आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस में अपनी उपस्थिति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की प्रार्थना स्वीकार्य नहीं होगी। उक्त नियुक्ति समय समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अध्यक्षीन होगी।
- सीनियर रेजीडेंट को स्नातक विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भी भाग लेना होगा,
- महिला अभ्यर्थियों को सीनियर रेजीडेंसी अवधि में प्रसूति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार अधिकतम एक बार प्रसूति अवकाश देय होगा।
- न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर सीनियर रेजीडेंट के पद से त्याग पत्र दिया जा सकेगा। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकृति से पूर्व एक माह का स्टार्टफण्ड राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।
- उक्त चिकित्सक प्रथमतः अपनी उपस्थिति प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ गुलझारी लाल मीना)  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक:-एफ. 2/स्था./आमवि/जो०/2020/16230-237

दिनांक: 24.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज० जयपुर।
- अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय/मथुरादास माथुर/उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर।
- संबंधित आचार्य एवं विभागाध्यक्ष।
- नोडल अधिकारी, कॉलेज वेबसाईट।
- लेखाशाखा, डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
- वरिष्ठ निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक कार्यालय हाजा।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/कॉलेज नोटिस बोर्ड।

(डॉ गुलझारी लाल मीना)  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक